ईमेल/अत्यंत महत्वपूर्ण/आई0जी0आर0एस0

संख्या- 87 /सत्तर-7-2024-20(64)/2018 टी0सी0

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक (उच्च शिक्षा), उ0प्र0, प्रयागराज।

2- कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 01 मई 2024

विषयः- जनसुनवाई समाधान प्रणाली पर लम्बित डिफाल्टर संदर्भों के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि जन सुनवाई समाधान प्रणाली पर लम्बित डिफाल्टर संदर्भों के निस्तारण में यह पाया गया कि शिकायत की गंभीरता एवं प्रकृति को देखे बिना सतही तौर पर निस्तारण आख्या भेजी गयी है, उदाहरण के लिये शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत इस आशय से की गयी है कि उसे मार्कशीट/प्रमाण पत्र चाहिए, किन्तु कुलसचिव/उप कुलसचिव द्वारा यह आख्या अंकित की गयी है कि प्रकरण लैपटाप से संबंधित है। समाज कल्याण विभाग से संपर्क करें।

इसी प्रकार कतिपय अन्य शिकायतों के संबंध में यह अंकित किया गया है कि उन्हें अंक पत्र नहीं मिल रहा एवं किसी को प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। ऐसे प्रकरण में यह आख्या अंकित की गयी है कि महाविद्यालय से अन्य सूचनाओं सहित प्रमाणित आख्या प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

किसी-किसी मामले में यह आख्या अंकित की गयी है कि आवेदक अपनी समस्याओं के फोटो एवं प्रति संबंधित महाविद्यालय के पैड पर अग्रसारित करते हुए विश्वविद्यालय को भेजें। उसी प्रकार किसी शिकायतकर्ता का नाम या पिता का नाम अभिलेखो में गलत होने की शिकायत है तो आख्या दी गयी है कि आधार कार्ड हाईस्कूल के प्रमाण पत्र के साथ लेटर पैड पर विद्यालय की संस्तुति प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी। किसी शिकायतकर्ता का परीक्षाफल अधूरा है या अंक नही चढे हैं तो निस्तारण में दिये गये हैं कि विद्यालय से उपस्थिति की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जनसुनवाई की समस्या के समाधान में रुचि नहीं ली जा रही है, शिकायत कर्ता ने क्या अनुरोध किया गया है, उक्त बिन्दु का गहराई से अध्ययन किया जाय। तदोपरान्त ही गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कार्यवाही की आख्या अपलोड की जाय।

कोई अभिलेख वांछित है या संबंधित महाविद्यालय के लेटर पैड पर संस्तुति के बाद कार्यवाही होनी है तो सतही निस्तारण न करके संबंधित महाविद्यालय से यथोचित अभिलेख प्राप्त कर निस्तारण की कार्यवाही की जाय। ताकि जनमानस की समस्या की संख्या घट सके और आम जनमानस को जनसुनवाई पोर्टल का लाभ मिल सके।

2. इसी प्रकार निदेशालय स्तर पर शिकायतों को गम्भीरता से नहीं देखा जा रहा है। आई.जी.आर.एस. पोर्टल पर किसी विश्वविद्यालय से आख्या आ रही है तो निदेशक स्तर से गुणवत्ता न देखकर अंकित किया जाता है कि प्रकरण अमुक विश्वविद्यालय से संबंधित है। निदेशालय स्तर से

परीक्षण कर देखा जाय कि शिकायतकर्ता ने क्या शिकायत की है? क्या उत्तर दिया गया है? उत्तर ठीक होने अथवा पूर्ण होने के उपरान्त जनसुनवाई समस्या के निस्तारण की कार्यवाही की जाय।

डिग्री कालेज उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित है। निदेशालय द्वारा सभी महाविद्यालय (पूरा उच्च शिक्षा विभाग) का समन्वय किया जाता है परन्तु आई.जी.आर.एस. के प्रकरणों में संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव की आख्या के बाद निदेशालय स्तर से यह मार्किंग की जा रही है कि प्रकरण अमुक विश्वविद्यालय से संबंधित है। यह स्थिति उचित नहीं है। महाविद्यालय की आख्या कुलसचिव के माध्यम से आई०जी०आर०एस० पोर्टल द्वारा निदेशालय स्तर पर भेजी जा रही है तो निदेशालय स्तर से सक्षम स्तर पर पुष्टि कर ली जाय कि रिपोर्ट/आख्या सही है अथवा नहीं। औपचारिकताएं पूर्ण कर, कमी की पूरी कराकर ही निस्तारण कराने में सहयोग किया जाय।

3. **महत्वपूर्ण बिन्दु** यह भी है कि विश्वविद्यालय स्तर/निदेशालय स्तर पर कम्प्यूटर आपरेटर के भरोसे न रहा जाय। कम से कम आई.जी.आर.एस. मामले के निस्तारण हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करें। ताकि परीक्षणोपरान्त अपनी देख-रेख में रिपोर्ट दर्ज करायें। जिससे गलत आख्या आई.जी.आर.एस. पोर्टल पर दर्ज न हो सके। शासन द्वारा समय-समय पर वर्चुअल/भौतिक बैठकों में आई.जी.आर.एस. संदर्भो का गुणवत्तापूर्ण/समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिये जाते रहें हैं, किन्तु आशातीत सुधार परिलक्षित नही हुआ है, यह अत्यंत गंभीर स्थिति है।

4 इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आई.जी.आर.एस. प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील है, अतएव इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ०प्र०)

Email:connectpuregistrar@gmail.com
Tel. No.: (05452) 252244
Web: www.vbspu.ac.in

पत्रांक : 3107 / पू.वि.वि. / कु0स0 / 2024 दिनांक : 02 मई, 2024

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वित्तअधिकारी / परीक्षा नियन्त्रक / उप कुलसचिव, समस्त अनुभाग को इस आशय से कि शासन के निर्देशानुसार अपने–अपने विभागों से सम्बन्धित आई0जी0आर0एस0 के लम्बित / डिफाल्टर संदर्भों का निर्धारित अवधि के अन्दर गुणवत्तापूर्ण अंतिम रूप से निस्तारित कराते हुए पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. समस्त प्राचार्य / प्रबन्धक, सम्बद्ध महाविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर को इस आशय से कि शासन के निर्देशानुसार अपने महाविद्यालयों से सम्बन्धित आई0जी0आर0एस0 (जनसुनवाई) प्रकरणों का निर्धारित अवधि के अन्दर गुणवत्तापूर्ण अंतिम रूप से निस्तारित कराने का कष्ट करें।
3. समस्त प्रशासनिक अधिकारी / अधीक्षक / प्रभारी / पटल सहायक को इस आशय से कि शासन के निर्देशानुसार अपने–अपने विभागों से सम्बन्धित आई0जी0आर0एस0 के लम्बित / डिफाल्टर संदर्भों का निर्धारित अवधि के अन्दर गुणवत्तापूर्ण अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. प्रभारी, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।

कुलसचिव